सं.के-22019/3/2018-ईओयू

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

*****

उद्योग भवन, नई दिल्ली

दिनांक 8 जून, 2018

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: 19 जून, 2018 को आयोजित की जाने वाली ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की 3री बैठक (2018 सीरीज) -एजेंडा अग्रेषित करने के संबंध में

अधोहस्ताक्षरी को वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में 19 जून, 2018 को प्रात: 11.00 बजे आयोजित की जाने वाली ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड की 3री बैठक (2018 सीरीज) हेतु एजेंडा मदों की एक प्रतिलिपि इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

2. कृपया बैठक में भाग लेने का कष्ट करें।

(जी.श्रीनिवासन)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23062496

ई-मेल : srinivasan.g@nic.in

1. औद्योगिक एवं संवर्धन विभाग
2. सीबीईसी [सदस्य (सीमाशुल्क)]/ डीजीईपी, वित्त मंत्रालय
3. सीबीडीटी [सदस्य (आय कर)], वित्त मंत्रालय
4. डीजी, डीजीएफटी
5. संयुक्त सचिव, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय
6. संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
7. सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय
8. सभी डीसी

प्रतिलिपि : सचिव के पीएसओ/ओएसडी(एडब्ल्यू) के पीपीएस/एएस (बीबीएस) के वैयक्तिक सहायक/निदेशक(टीवीआर) के निजी सचिव

दिनॉक 19.06.2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे आयोजित होनेवाली ईओयू स्कीम के लिये 3री बीओए बैठक (2018 सीरीज) हेतु एजेंडा

.....

3 .1 (18) 04 .0 4 .2018 को आयोजित 2री बीओए (201 8 सीरीज) की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

3 .2 (18) मैसर्स रूलुंड्स ब्रेकिंग (इंडिया) प्रा लिमिटेड , एनएसईजेड के तहत एक ईओयू - विनिर्मित सामग्रियों से संबंधित वस्तुओं के एकीकरण के लिए अनुमति।

मैसर्स रूलुंड्स ब्रेकिंग (इंडिया) प्रा लिमिटेड डिस्क ब्रेक पैड, ब्रेक लाइनिंग, प्रोसेसिड बैक प्लेट और घर्षण मिक्स के निर्माण और निर्यात के लिए 27.06.2003 **को एलओपी जारी किया गया था।**

दिनॉक 07.05.2018 **के पत्र के माध्यम से, इकाई ने डीसी, एनएसईजेड से नीचे उल्लिखित सहायक उपकरण की** 56260 **नंबर निर्यात करने की अनुमति मांगी है , जो निर्माण के अपने सामान से संबंधित हैं:**

क्र.सं.	**विवरण**	**मात्रा**	**मूल्य (रूपये)**
1	**परत**	22108	319,396.53
2	**सेट बॉक्स**	5618	41210.75
3	**सेट बॉक्स लेबल**	5618	970.79
4	**पत्रक**	5618	4975.30
5	**लेबल**	5618	8288.12
6	**वियर संकेतक**	4048	8137.26
7	**स्प्रिंग**	560	1723.68
8	**पेंच**	4556	10752.13
9	**पिस्टन क्लिप**	1648	6341.41
10	**वायर संकेतक**	568	11162.88
1 1	**टॉप स्प्रिंग**	300	631.80
	कुल	**56260**	**413,590.95**

इकाई ने सूचित किया कि उपर्युक्त वस्तुओं को घरेलू / विदेशी बाजार से खरीदा जाएगा और इसे अपने खरीदार मैट (दलन) ब्रेक कंपोनेंट कंपनी लिमिटेड चीन को एलओपी में शामिल इसके विनिर्मित वस्तुओं के साथ निर्यात किया जाएगा।

14.08.2018 तक 5 साल के मौजूदा ब्लॉक के दौरान 31.03.2017 तक यूनिट का प्रदर्शन नीचे दिया गया है:

भौतिक निर्यात	रुपये 133690.66 लाख
अवधि के दौरान माना गया निर्यात	रुपये1,7504.33 लाख
कुल निर्यात	रुपये 1511 9 4.99 लाख
अवधि के दौरान कुल आयात	रुपये 72056.55 लाख
(एमोर्ट सीजी + आरएम + अन्य आउटफ्लो) नेट विदेशी मुद्रा कमाई	रुपये 79397.57 लाख

पूर्ववर्ती वित्तीय साल 2016-17 के दौरान यूनिट का निर्यात 24237.10 लाख रूपये है और निर्यात के एफओबी मूल्य का 5% लगभग1211.855 लाख रूपये के बराबर आता है। निर्यात किए जाने वाले प्रस्तावित उपरोक्त सामानों का मूल्य केवल 4.14 लाख रुपये है जो पिछले वित्तीय वर्ष में इकाई द्वारा निर्यात किए गए विनिर्मित वस्तुओं के एफओबी मूल्य का 5% से कम है।

<u>एफ़टीपी के प्रासंगिक प्रावधान:</u> एफ़टीपी 2015-20 के पैरा 6.01 (के) के अनुसार (05.12.2017 को संशोधित) :

" बीओए मामला दर मामला आधार पर, विनिर्मित सामग्रियों से संबंधित वस्तुओं के समेकन और विनिर्मित वस्तु के साथ उसके निर्यात के लिये, रत्न एवं आभूषण को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाईयों के निवेदनों की अनुमति दे सकता है। ऐसी वस्तुओं को शुल्क और/अथवाकरों के भुगतान के साथ अथवा बिना ईओयू द्वारा डीटीए से आयात करने/खरीद करने हेतु अनुमति दी जा सकती है जैसा कि उपरोक्त पैरा 6.01 (घ) (ii) एवं (iii) में प्रावधान है जैसा कि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में इकाई द्वारा निर्यात किये गये ऐसी विनिर्मित वस्तुओं के 5% एफओबी मूल्य की सीमा तक मामला हो सकता है। ईओयू द्वारा खरीदी गयी/आयात की गई वस्तुओं और विनिर्मित सामग्रियों का ब्यौरा निर्यात दस्तावेजों में अलग से सूचीबद्ध की जायेगी। ऐसे मामलों में, खरीदी गयी/ आयात की गई वस्तुओं का मूल्य एनएफई एवं डीटीए बिक्री योग्यता की गणना करने के लिये विचार नहीं किया जायेगा। ऐसी खरीदी गयी/ आयात की गयी वस्तुओ को डीटीए में बिक्री हेतु अनुमति नहीं दी जायेगी। बीओए किसी अन्य शर्तों को भी उल्लिखित कर सकता है "।

<u>डीसी की सिफारिश:</u> डीसी, एनएसईजेड ने सिफारिश की है कि विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 6.01 (के) में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों में विनिर्मित सामग्रियों के साथ-साथ खरीदी गयी मदों के समेकन के लिए इकाई के अनुरोध पर इस शर्त के अधीन विचार

किया जा सकता है कि इस तरह के सामान का मूल्य पिछले वित्तीय वर्ष में किए गए निर्यात से 5% से अधिक नहीं होना चाहिए ।

3 .3 (18) मैसर्स वाटसन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स तेवाफार्म इंडिया प्रा लिमिटेड , सीप्ज के तहत ईओयू के बीच बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाएँ साझा करने के लिए प्रस्ताव

मैसर्स वाटसन फार्मा प्रा लिमिटेड, गोवा एक ईओयू है जो एलोपेथिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यानी कैरिसोपाइमाइड , क्लिंडामाइसीन हाइड्रोक्लोराइड, डिओप्रैमाइड फॉस्फेट,डॉक्सपिन हाइड्रोक्लोराइड, फुरोसाइमाइड इत्यादि के निर्माण और निर्यात में लगी हुई है।

मैसर्स तेवाफार्म इंडिया प्रा लिमिटेड, गोवा एक ईओयू है जो नियमित उत्पाद यानी एलोपुरिनोल या अन्य टैबलेट, कैंडेसार्टन आईआर टैबलेट, कैंडेसार्टन एचसीटी टैबलेट इत्यादि के निर्माण और निर्यात में लगी हुई है।

इकाइयों ने बुनियादी सुविधाएँ साझा करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया है बायलर अर्थात मैसर्स तेवाफार्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स वाटसन फार्मा प्रा लिमिटेड द्वारा भाप का उत्पादन

सीप्ज ने मैसर्स तेवाफार्म इण्डिया प्रा.लि. और मैसर्स वाटसन फार्मा प्रा.लि. के बीच बायलर की अवसंरचना सुविधाएँ साझा करने के संबंध में निम्नलिखित विवरण/सूचना अग्रेषित किया है।

(I**)** **मैसर्स तेवाफार्म इंडिया प्रा लिमिटेड ने मैसर्स एलरगान पीएलसी की ग्लोबल जेनेरिक बिजनेस स्टेटस हासिल की है। जो 02 अगस्त 2016 को मैसर्स वाटसन फार्मा प्रा लिमिटेड की मदर होल्डिंग कंपनी है।**

(ii) **मैसर्स तेवाफार्मा इंडिया प्रा लिमिटेड और मैसर्स वाटसन फार्मा कंपनी गोवा में दोनों एक दूसरे के समीप स्थित हैं।**

(iii) **मैसर्स तेवाफार्मा इंडिया प्रा लिमिटेड और मैसर्स वाटसन फार्मा प्रा लिमिटेड वर्तमान में अलग कानूनी संस्थाओं के रूप में काम कर रहे हैं और दोनों ईओयू का दर्जा रखते हैं।**

(iv) **दोनों इकाईयों का प्रस्ताव है कि उनकी योजना बायलर सुविधा की एक आम उपयोगिता का होना है जहॉ वाटसन फार्मा को तेवाफर्मा इण्डिया प्रा.लि. द्वारा भाप की आपूर्ति की जाएगी।**

(v) वर्तमान में मैसर्स तेवाफार्मा इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड सॉलिड मास ब्रिकेट का उपयोग कर रहा है क्योंकि बॉयलर ईंधन बहुत कम लागत ईंधन है जो है पेट्रोलियम ईंधन के उपयोग के कारण हुए पर्यावरणीय खतरे को कम करता है। जबकि मैसर्स वाटसन फार्मा बॉयलर के उद्देश्य के लिए फर्नेस ऑयल का उपयोग करता है जो बायोमास ब्रिकेट ईंधन की तुलना में अत्यधिक महंगा है।

(vi) तेवाफार्मा के भाप की उत्पादन क्षमता इतनी अधिक है कि इसे बिना किसी अतिरिक्त निवेश के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अतएव तेवाफार्म ने वाटसन फार्मा को भाप उत्पादन के अपने अतिरिक्त क्षमता साझा करने के लिए प्रस्ताव किया है।

(vii) दोनों इकाइयों ने पहले से ही इस प्रस्तावित परिवर्तन के लिए स्थानीय सरकारी प्राधिकरण को सूचित कर दिया है और वे जल्द से जल्द इस परियोजना को लागू करने की अनुमति की मॉग कर रहे हैं।

(viii) वे भाप की आपूर्ति के लिए फ्लो मीटर स्थापित करेंगे और उचित रिकॉर्ड बनाए रखा जाएगा। चालान मैसर्स वाटसन फार्मा प्रा लिमिटेड को प्रासंगिक नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार जारी किए जाएंगे।

(IX) वे मौजूदा एफ़टीपी 2015-2020 और माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत बनाए गए नियमों के तहत प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन करते हैं और यह साझाकरण दोनों इकाइयों के लिए अलग-अलग निर्यात दायित्व को नहीं बदलेगा।

मैसर्स वाटसन फार्मा प्रा लिमिटेड के पिछले पांच वर्षों के निर्यात और एनएफई का विवरण निम्नलिखित है: -

वर्ष	निर्यात (लाख रुपये में)		एनएफई (लाख रुपये में)
	अनुमोदित	वास्तविक	
2012-13	41,529.80	55,437.22	72,052.65
2013-14	70,463.39	53,376.00	20.042.90
2014-15	80,282.31	66,078.98	50,590.33
2015-16	84,933.28	78,377.22	76,857.75
2016-17	89,867.15	77,896.07	91,921.76

वर्ष 2016-17 **की अवधि के लिए वसूली हेतु कोई बकाया निर्यात लंबित नहीं है।**

मैसर्स तेवाफार्मा इंडिया प्रा लिमिटेड के पिछले पांच वर्षों के निर्यात और एनएफई का विवरण निम्नानुसार हैं: -

वर्ष	**निर्यात (लाख रुपये में)**		**एनएफई (लाख रुपये में)**
	प्रस्तावित	**वास्तविक**	
2012-13	26,800	25,778.35	39,834.64
2013-14	50,200	33,759.00	70,809.78
2014-15	67,000	19,630.48	87,108.35
2015-16	22,045	21,262.93	19,022.97
2016-17	26,252	20,854.42	34,075.06

वर्ष 2016-17 **की अवधि के लिए वसूली हेतु कोई बकाया निर्यात लंबित नहीं है।**

एफ़टीपी / एचबीपी के प्रासंगिक प्रावधान : - एफ़टीपी 2015-2020 (05.12.2017 **को संशोधित) के पैरा** 6.12 **(जी) के संदर्भ में** :

"**इकाइयों की स्वीकृति समिति ईओयू के बीच आधारभूत सुविधाओं को साझा करने के लिए मामला-दर-मामला आधार अनुरोध पर विचार कर सकती है और यह अनुमोदन बोर्ड को उनके विचारों के लिए अपनी सिफारिशें अग्रेषित करेगी। ऐसे प्रस्तावों को स्वीकार करते समय, इकाइयों के एनएफई दायित्वों को बदला नहीं जाएगा। आईएमएससी से अनुमोदन मिलने के बाद ऐसी सुविधाएं ईएचटीपी / एसटीपी में इकाइयों को उपलब्ध होंगी। हालांकि, ईओयू और एसईजेड इकाइयों के बीच सुविधाओं को साझा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी "।**

मैसर्स तेवाफार्म इण्डिया प्रा. लि. से मैसर्स वाटसन फार्मा प्रा.लि. के बायलर के आम उपयोगिता के लिए सुविधा के अवसंरचना साझा करने के लिए इकाई का प्रस्ताव विचारार्थ इकाई अनुमोदन समिति की दिनॉक 02.05.2018 को आयोजित इसकी बैठक से पहले था और विचार विमर्श के बाद, इकाई परिवर्तित नहीं किये जायेंगे के एनएफई दायित्व के अध्यधीन यूएसी ने मैसर्स वाटसन फार्मा प्रा. लि. के लिये मैसर्स तेवाफार्म इण्डिया प्रा.लि. के बायलर के सामान्य उपयोगिता के लिये अवसंरचना सुविधा साझा करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। यूएसी ने एफटीपी 2015-20 के पैरा 6.12 (जी) के संदर्भ में विचार के लिये बीओए को इकाई के प्रस्ताव को अग्रेषित करने की सिफारिश की है।

<u>डीसी की सिफारिश:</u> एफ़टीपी 2015-20 **के पैरा** 6.12 **(जी) में इकाइयों की एनएफई दायित्व के अध्यधीन यूएसी, सीप्ज ने मैसर्स वाटसन फार्मा प्रा.लि. को तेवाफार्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बॉयलर की सामान्य उपयोगिता के लिए आधारभूत संरचना सुविधा साझा करने के लिए इकाई के प्रस्ताव पर विचार करने की सिफारिश की है।**

3.4 (18) मैसर्स श्री सनमंगल मेटल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज (पी) लिमिटेड - तांबा सिल्लियों के निर्माण और निर्यात के लिए तमिलनाडु में एक ईओयू स्थापित करने के लिए प्रस्ताव।

मैसर्स श्री सनमंगल मेटल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज प्रा लिमिटेड का तांबे के स्क्रैप बर्च से तांबा मिश्र धातु की सिल्लियों के निर्माण के लिए तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में एक ईओयू स्थापित करने का प्रस्ताव 04.04.2018 **को आयोजित इसकी अंतिम बैठक में बीओए के समक्ष रखा गया था। बोर्ड ने डीजीईपी की टिप्पणियों पर ध्यान दिया और डीसी, एमईपीजेड को इकाई की प्रस्तावित गतिविधि की विनिर्माण प्रक्रिया की जांच करने और यह मूल्यांकन करने के लिए निर्देशित किया कि प्रस्तावित गतिविधि विचारार्थ है या नहीं।**

एमईपीजेड ने 28.05.2018 **के पत्र के माध्यम से यूनिट की प्रस्तावित गतिविधियों के लिए विनिर्माण प्रक्रिया का विवरण अग्रेषित किया है। यूनिट ने** 18.04.2018 **के अपने पत्र में बताया कि:**

(i) **बेकार मोटरों से निकाले गए तांबे के स्क्रैप को साफ़ कर दिया जाता है और फिर एक रोटरी फर्नेस में चार्ज किया जाता है और सही रसायन प्राप्त करने के लिए चार से पांच घंटे के लिए** 1000/1100 **डिग्री सेल्सियस पर पिघलाया जाता है और अंत में** 1000/1100 **डिग्री सेल्सियस पर तरल धातु को एक कास्टिंग मशीन में मोल्डस में उंडेला जाता है जिसे प्राकृतिक रूप से ठंडा किया जाता है। इस सिल्ली / बिलेट्स को गर्म किया जाता है और फिर तार की छड़ के अपेक्षित व्यास में खींचा जाता है जो ज्यादातर** 8 **मिमी होती है।**

(ii) **आवश्यक विनिर्देश बनाया जाता है और रासायनिक संरचना को एक विश्वस्तरीय स्पेक्ट्रोमीटर में परीक्षण किया जाता है - एमटेक द्वारा जर्मनी में स्पेक्ट्रोमेक्स बनाया जाता है और हर बैच को पिघलाया जाता है और एक परीक्षण प्रमाणपत्र प्रेषण के समय में जारी किए जाते हैं। इसलिए, पूरी प्रक्रिया में पूर्ण पैमाने पर विनिर्माण सेटअप शामिल है और इसे पृथक्करण के रूप में नहीं माना जा सकता है।**

(iii) **आयातित बेकार मोटर स्क्रैप अधिकतम** 20% **की तांबे की सामग्री है और शेष स्टील स्क्रैप है। हालांकि, तांबा पिंड का मूल्य कुल मूल्य का** 80% **से अधिक है, हालांकि वजन से यह केवल** 20% **है।इसके अलावा, शेष स्टील स्क्रैप निर्यात किया जाता है इसलिए देश में कोई अवशेष नहीं बचता है।**

तांबा पिंड की विनिर्माण प्रक्रिया के लिए प्रवाह चार्ट अनुबंध-I पर है

(iv) इकाई का सिम्स मेटल, ऑस्ट्रेलिया, वन स्टील, हांगकांग और हनवा, जापान जैसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ उनके 100% तांबा उत्पाद के लिए समझौता है। इकाई ने यह भी सूचित किया है कि यह एईओ स्टेटस धारक है जिसे सीबीईसी द्वारा उनके पूर्ववृत्त की उचित जांच के बाद प्रदान किया जाता है और यह सुनिश्चित करने के बाद कि कर चोरी के कारण कोई मामला लंबित नहीं है।

यूनिट ने पांच साल की अवधि के लिए 9561.23 लाख रुपये के सकारात्मक एनएफई का अनुमान लगाया है।

<u>एफ़टीपी के प्रासंगिक प्रावधान:</u> एचबीपी 2015-20 के पैरा 6.01 (ख)(i) के अनुसार (05.12.2017 को संशोधित)

" परिशिष्ट एवं एएनएफ के परिशिष्ट 6 क में दर्शाए गये मापदण्ड और परिशिष्ट एवं एएनएफ के परिशिष्ट 6 ख में अनुमोदन के संबंध में क्षेत्र विशिष्ट शर्तों के अनुसार ईओयू स्कीम के तहत इकाईयों की स्थापना हेतु आवेदनों को 15 दिनों के भीतर इकाई अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित या अस्वीकृत किया जाएगा" ।

परिशिष्ट 6 क के अनुसार, लौह और गैर लौह धातु प्रस्तावों का पुनर्चक्रण स्वचालित स्वीकृति के तहत ही माना जाएगा यदि यूनिट में सिल्लियां बनाने की सुविधा है और मूल्यवर्धन प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

<u>डीसी की सिफारिश:</u> डीसी, एमईपीजेड ने इकाई के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

3.5 (18) मैसर्स माइलान लेबोरेटरीज लिमिटेड - मौजूदा डीटीए इकाई के 100% ईओयू में रूपांतरण के लिए प्रस्ताव ।

मैसर्स माइलान लेबोरेटरीज लिमिटेड ने प्लॉट नंबर 5, रोड नंबर 12, जेएन फार्मा सिटी, ताडी गांव, परवाड़ा मंडल, विशाखापत्तनम।पर 'सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआई) और ड्रग इंटरमीडिएट्स (अनुबंध- II) के विनिर्माण और निर्यात के लिए मौजूदा डीटीए इकाई के 100% ईओयू में रूपांतरण के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है।

इकाई ने अगले 5 वर्षो के लिये 1005.57 करोड़ रू. के एनएफई का अनुमान लगाया है।

पिछले 3 वर्षों के लिए निर्यात विवरण निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रूपए में)

क्र.सं.	वर्ष	प्रत्यक्ष निर्यात	माना गया निर्यात	कुल निर्यात
1।	2014-15	110.38	434.89	545.27

2।	2015-16	85.27	62.02	147.30
3।	2016-17	93.59	31.72	125.32
4।	2017-18	114.08	39.91	153.99

संयंत्र और मशीनरी में मौजूदा और प्रस्तावित निवेश 131.14 **करोड़ और** 18 **करोड़ रुपये है।**

इकाई ने यह भी संकेत दिया है कि उनका ईपीसीजी दायित्व 23.44 **लाख रुपये है। और निर्यात दायित्व लंबित (अग्रिम प्राधिकरण देयता)** 4868.41 **लाख रुपये है।**

<u>एफ़टीपी के प्रासंगिक प्रावधान:</u> एफ़टीपी 2015-20 (05/12/2017 **पर संशोधित) के पैरा 6.19 (ग) के अनुसार :**

"**मौजूदा डीटीए इकाइयों से ईओयू / ईएचटीपी / एसटीपी / बीटीपी इकाई में रूपांतरण के लिए आवेदन, जिसमें संयंत्र और मशीनरी में** 50 **करोड़ रुपये और ऊपर का निवेश हो या सालाना** 50 **करोड़ रूपए और उससे अधिक का निर्यात हो को, निर्णय के लिए बीओए के समक्ष रखा जाएगा "।**

<u>डीसी की सिफारिश:</u> डीसी, वीएसईजेड ने इकाई के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

3.5 (18) मैसर्स इटारेस शूज़ प्रा लिमिटेड - एलओपी के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव ।

मैसर्स इटारेस शूज़ प्रा. लि. को सं.33, गुडियाथम रोड, थटिपेट, अम्बूर-635811 पर स्थित उनके फैक्टरी पर चमड़े के जूतों के विनिर्माण और निर्यात के लिए दिनॉक 19.04.2007 को एलओपी सं. ए/2007/16/ईओयू-टीएन जारी किया गया था।

यूनिट को 23.02.2010 **को बाहर निकलने के लिए एनओसी जारी किया गया था और अंतिम आदेश दिनॉक 16.06.2010 के एमईपीजेड कार्यालय पत्र संख्या ए /** 2007/16 / **ईओ यू-टीएन डीटी के माध्यम से जारी किया गया था। एमईपीजेड ने सूचित किया है कि यूनिट के एलओपी को बीओए को अनुमोदन के लिए भेजा गया था या नहीं प्रासंगिक रिकॉर्ड की अनुपलब्धता के कारण पता नहीं लगाया जा सका , जिसके कारण यूनिट आयकर लाभ का लाभ उठाने में असमर्थ है।**

उनके एलओपी के गैर अनुमोदन के कारण, इकाई आयकर लाभ उठाने में असमर्थ थी और आयकर अधिकारियों द्वारा वित्त वर्ष 200 9 -10 / **एवाई** 2010-11 **के लिए आयकर राशि के रूप में** 6,80,54,570 / - **रुपये की मांग की गई थी। इस फैसले से दुखित होकर , यूनिट ने माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में वर्ष** 2018 **के रिट याचिका सं** 10404 **दायर किया है, जिसमें कार्यालय डीसी, एमईपीजेड और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को निर्देशित करने के**

लिए मंडमस के रिट के मुद्दे के लिए प्रार्थना करते हुए बीओए के समक्ष एलओपी रखने और उसे पुष्टि करने और ऐसे अन्य आदेश पास करने की मॉग की गई है । मामला 18.06.2018 को सुनवाई के लिए रखा गया है।

जैसा कि वाणिज्य विभाग के ईओयू अनुभाग के अभिलेखों से चेक किया गया है, यह पता चला है कि यूनिट का नाम 25.03.2011 को आयोजित बैठक के दौरान बीओए द्वारा अनुमोदन के लिए एमईपीजेड द्वारा अग्रेषित प्रस्तावों की सूची में प्रकट नहीं है।

<u>डीसी की सिफारिश:</u> डीसी, एमईपीजेड ने अनुमोदन के लिए इकाई के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

<u>अपील</u>

3. 6 (18) मैसर्स बिग बैग इंटरनेशनल प्रा लिमिटेड, सीएसईजेड के तहत एक ईओयू - सुनवाई हेतु दिनॉक 19.02.2018 का उच्च न्यायालय का आदेश 27.01.2007 से आगे एलओपी के विस्तार के लिए उनके अनुरोध को अस्वीकार करने के खिलाफ अपील

मैसर्स बिग बैग इंटरनेशनल प्रा लिमिटेड, सीएसईजेड के तहत एक ईओयू ने 27.01.2007 से आगे एलओपी के विस्तार के लिए उनके अनुरोध को अस्वीकार करने के खिलाफ कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष डब्ल्यूपी सं. 38304-305 / 2014 दायर किया है। माननीय न्यायालय ने 1 9 .02.2018 के आदेश के अनुसार यूनिट द्वारा दायर आपत्ति पर ध्यान देने के लिए मामले को बीओए को वापस भेज दिया, उस संबंध में सभी सामग्रियॉ प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया, और सुनवाई में कानून के अनुसार निर्णय लिया।

कर्नाटक के उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में 04.04.2018 को आयोजित अपनी अंतिम बैठक में इकाई की अपील को बीओए के समक्ष रखा गया था। दिनॉक 03.04.2018 के ईमेल के माध्यम से इकाई ने 04.04.2018 को अपने कानूनी सलाहकार की अनुपलब्धता के कारण सुनवाई की अगली तारीख मांगी । बोर्ड ने तदनुसार मामले को अगली बीओए बैठक हेतु स्थगित करने का फैसला किया।

दिनॉक 04.04.2018 के पत्र के अनुसार इकाई ने अनुबंध- III में रखे गये दस्तावेज जमा किए ।

<u>मामले का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:</u>

(i) मैसर्स बिग बैग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर 100% ईओयू है और इसे लैमिनेटेड पॉलीइथीलीन टैरपॉलिन, एचडीपीई / पीपी लेमिनेटेड / लेपित शीट्स, एचडीपीई / पीपी लेमिनेटेड / लेपित रोल्स और एचडीपीई लेमिनेटेड / लेपित तारपाउलिन्स के निर्माण के लिए दिनॉक 20.08.2001 को एलओपी जारी किया गया था। यूनिट ने 26.01.2002 को उत्पादन

शुरू किया और तदनुसार उत्पादन के शुरू होने की तारीख से 5 साल के लिए वैध एलओपी 25.01.2007 को समाप्त हो गया।

(ii) ईओयू के रूप में अपने ऑपरेशन के दौरान, फर्म को बिना अनुमति के और बिना शुल्क के भुगतान के ईओयू से सामग्री के परिवर्तन के लिए 31.03.2003 के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना सं 22 / 03- सीई की शर्तों का उल्लंघन का दोषी पाया गया था। अभियोजन पक्ष प्राधिकरण अर्थात आयुक्त, सीमा शुल्क, बैंगलोर ने याचिकाकर्ता पर शुल्क की मांग की पुष्टि करने, जुर्माना लगाने का आदेश देने और माल जब्त करने का आदेश दिनॉक 16.12.2005 को आदेश पारित किया। उपरोक्त आदेश के खिलाफ सीईएसटीएटी के समक्ष दायर अपील को सीईएसटीएटी ऑर्डर-इन-अपील नंबर सी 137, 38, 3 9, 47, 31, 42/2006 दिनांक 3.8.2007 को दंड और सामान जब्त करने के लिए निपटाया गया था।

(iii) सीईएसटीएटी के समक्ष दायर अपील का लंबित निपटान, 11.1.2007 के आवेदन के जरिये इकाई ने अगले वर्ष (2) ब्लॉक अवधि के लिए 26.01.2007 से ईओयू स्थिति के विस्तार के लिए विकास आयुक्त से संपर्क किया। अस्वीकृति के कारण बताते हुए 29.11.2007 के पत्र के जरिये एलओपी के नवीनीकरण के मामलों में विदेशी व्यापार नीति के पैरा 6.6 (क) के तहत उनके द्वारा दिए गए विवेक के तहत विकास आयुक्त द्वारा अनुरोध को खारिज कर दिया गया था, यूनिट को सीमा शुल्क औपचारिकताओं के पालन के अधीन डी-बॉन्ड के लिए निर्देशित किया गया था।

(iv) अस्वीकृति से पीड़ित होकर, यूनिट ने ईओयू (बीओए) के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील दायर की, जिसने डीसी के फैसले को बरकरार रखा और 15.04.2010 के पत्र संख्या 14/02/2010-ईओयू के फैसले को बताया। इकाई ने बीओए के फैसले के खिलाफ कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय से संपर्क किया, जिसने बीओए को बीओए के समक्ष दायर याचिका पर याचिकाकर्ता को सुनवाई और कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया।

(v) तदनुसार, इकाई को 23.11.2012 को आयोजित इसकी 5 वीं बैठक (2012 सीरीज) में बीओए के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा गया था। हालांकि, मामला स्थगित कर दिया गया क्योंकि व्यक्तिगत सुनवाई के लिए यूनिट का कोई प्रतिनिधि नहीं आया। इसके बजाए, इकाई ने दूसरी तारीख मांगी क्योंकि इसके निदेशक व्यक्तिगत सुनवाई में भाग लेने में असमर्थ थे।

(vi) 18.01.2013 को आयोजित बीओए की पहली बैठक (2013 सीरीज) में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए मामले पर विचार किया गया था। बीओए ने श्री बीएन गुरुराज, वकील, यूनिट के अधिकृत प्रतिनिधि को सुना, और उनके द्वारा किये गये लिखित सबमिशन को रिकॉर्ड किया। यूनिट की अपील पर बीओए द्वारा विस्तार से चर्चा की गई और विचार-विमर्श के बाद, निम्नलिखित कारणों के आधार पर इसे अस्वीकार कर अपील का निपटान करने का निर्णय लिया गया:

- यूनिट को ईओयू योजना के तहत अनुमति के बिना आयात किए गए सामग्री को हटाने और सीमा शुल्क / केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान के बिना सीईएसटीएटी द्वारा इकाई को दोषी पाया गया था और इस प्रक्रिया में आयात की शर्तों का उल्लंघन किया गया था।

- इकाई ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचनाओं और विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों की शर्तों का उल्लंघन किया।

- विकास आयुक्त ने विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.6 (क) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करते हुए 26/01/2007 से परे एलओपी के नवीकरण के लिए इकाई का आवेदन खारिज कर दिया ।

(vii) बीओए के उपरोक्त निर्णय को दिनॉक 02.07.2013 के पत्र संख्या 13/9/2009-ईओयू के माध्यम से इकाई को सूचित किया गया था। बीओए के फैसले से पीड़ित, इकाई ने निम्नलिखित प्रार्थना के साथ बीओए के फैसले के खिलाफ कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय से संपर्क किया:

- दिनॉक 02.07.2013 के बीओए द्वारा जारी आदेश को रद्द करना।

- डीसी, सीएसईजेड को दिनॉक 11.01.2007 को एलओपी के नवीकरण के लिए आवेदन पर पुनर्विचार करने के लिए निर्देशित करना

- कोई अन्य राहत प्रदान करना जैसा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझा गया हो।

(Viii) डब्ल्यूपी में यूनिट द्वारा उल्लिखित ग्राउंड का उल्लेख निम्नानुसार है:

• दिनॉक 02.07.2013 का अपमानित आदेश एक गैर-बोलने वाला आदेश है। बोर्ड ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए यूनिट के किसी भी निवेदन पर विचार नहीं किया।

• इकाई ने प्रस्तुत किया कि उसने ईओयू के रूप में अच्छा प्रदर्शन किया था और निर्यात दायित्व के संतोषजनक निर्वहन में यूनिट के हिस्से में कोई विफलता नहीं थी और एलओपी के नवीनीकरण के हकदार थे। इकाई ने यह भी उल्लेख किया कि यह एफ़टीपी में सशर्त उदाहरण नहीं था कि एक ईओयू जिसे किसी अन्य कानून के तहत दंड का सामना करना पड़ा था, वह एलओपी के नवीकरण की मॉग नहीं कर सका।

• यह कहा गया है कि 26.01.2007 और 2 9 .11.2007 के बीच नवीनीकरण आवेदन की लंबमानता के दौरान, चूंकि इसे शुल्क मुक्त इनपुट प्राप्त करने की अनुमति थी, इसलिए इकाई ने उम्मीद की थी कि कम से कम उस अवधि के लिए, उनके एलओपी को नवीनीकृत किया जा सकता है।

• इकाई ने यह भी प्रस्तुत किया कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1 9 62 की धारा 72 के तहत जहां सामानों को गोदाम से अनुचित तरीके से हटा दिया गया है, ऐसे सामानों के संबंध में सभी जुर्माना, किराया, ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ शुल्क की पुर्ण राशि की मांग की जा सकती है। लेकिन धारा में कहीं भी, यह निर्धारित नहीं किया गया है कि "अनुमति" की आवश्यकता होती है यदि सामान गोदाम से अनुचित तरीके से हटा दिया जाता है या इस तरह के निष्कासन के परिणामस्वरूप एलओपी के विस्तार को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

• इकाई ने यह भी प्रस्तुत किया कि वर्ष 2004 के दौरान, इकाई को आयातित शुल्क मुक्त प्लास्टिक ग्रेन्युल और शुल्क मुक्त घरेलू रूप से निर्मित प्लास्टिक ग्रेन्युल की खरीद में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।इसलिए, इकाई ने व्यापारियों से प्लास्टिक ग्रेन्यूल उधार लिया। यह कहा जाता है कि अपने स्वयं के स्टॉक की प्राप्ति के बाद उधार में ली गयी प्लास्टिक ग्रेन्युल की बराबर मात्रा व्यापारियों को वापस कर दी गयी थी, इस प्रकार स्थानीय बाजार में बिक्री के लिए आयातित प्लास्टिक ग्रैन्यूल का कोई परिवर्तिन नहीं था या व्यापारियों के साथ लेनदेन में यूनिट को अर्जित कोई वाणिज्यिक लाभ था।

• यूनिट ने प्रस्तुत किया कि बीओए ने 02.07.2013 के आदेश को पारित करते हुए इकाई द्वारा प्राप्त सकारात्मक एनएफई पर विचार नहीं किया था। इसलिए,

अपमानित आदेश में यह निष्कर्ष कि "इकाई ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना की शर्तों और एफ़टीपी के प्रावधानों का उल्लंघन किया" स्पष्ट रूप से गलत है।

(IX**)** **माननीय न्यायालय ने दिनॉक** 19 .02.2018 **के आदेश के अनुसार यूनिट द्वारा दायर आपत्ति पर ध्यान देने के लिए मामले को बीओए को वापस भेज दिया, उस संबंध में सभी सामग्रियॉ प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया, और सुनवाई में कानून के अनुसार निर्णय लिया।**

इस प्रकार, यूनिट की अपील तदनुसार बीओए के समक्ष रखी गयी है।

<u>भाग II</u>

<u>1995 के प्रेस नोट नंबर 3 के अनुसार बीओए के अनुसमर्थन के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया</u>

क	**मार्च**, 2018 **से जून** , 2018 **की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत अनुमोदन दिए गए**	**वीएसईजेड**
ख	**जुलाई**, 2017 **से मई**, 2018 **की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत अनुमोदन दिए गए**	**सीप्ज**